न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)

अपील संख्या : 56/2023 (12/126/2022)

तारीख रजू : 16.09.2023 (20.09.2022) निर्णय दिनांक : 15.05.2024

1. वीरसिंह पुत्र लीलाराम जाति अहीर निवासी डूमरोली तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़।

अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.03.2022 न्यायालय नायब तहसीलदार नीमराना

उपस्थितः–

01. श्री रामेश्वर दयाल, मनीष कुमावत –वकील अपीलान्ट

02. पैरोकार सरकार

––:: निर्णय ::––

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 16.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 10.03. 2022 जिसके द्वारा प्रार्थना बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली तहत तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि अपीलाण्ट व उसके भाई बंशीसिंह, चिम्मनलाल की आराजी खसरा नम्बर 992 वाके ग्राम डूमरोली में स्थित है जिसके उत्तर दिशा में माजरी–नारनौल सडक है तथा अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 992 व सडक के बीच कोई भूमि नही है जबकि बंदोबस्त कर्मचारियों ने बीच में गलत तौर पर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 993 दर्ज कर दी। इस प्रकार अपीलाण्ट की आराजी व सड़क के बीच विवादित आराजी खसरा नम्बर 993 वाके ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना कायम कर दी, जो खसरा नम्बर गलत तौर पर कायम किया गया है। अपीलाण्ट व उसके भाईयो ने भूप्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में किये गये गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने तथा आराजी खसरा नम्बर 993 की घोषणा कराने हेतु राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर रखा था जिसके कारण अदालत मातहत के समक्ष चल रही कार्यवाही ड्रोप किये जाने योग्य थी लेकिन अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर पटवारी हल्का के बयान लिए बिना निर्णय पारित

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

किया जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा विवादित आराजी पर अपीलाण्ट लम्बे समय से काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को बेदखल किये जाने का आदेश न्यायसंगत नही है। अंत में अपीलाण्ट वकील ने निवेदन किया कि इन तथ्यो के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नीमराना का निर्णय दिनांक 10.03.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान विभागीय पैरोकार सरकार का तर्क है कि संवत 2078 ग्राम डूमरोली के आराजी खसरा नम्बर 993 कुल रकबा 0.19 हैक्टे0 की किस्म चारागाह है जिस पर अपीलाण्ट ने 0.12 हैक्टे0 भूमि पर पक्का चार दिवारी लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है जिससे राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। उक्त अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार विधिवत न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है। अतः दिनांक 10.03.2022 को पारित निर्णय सही तथ्यों के आधार पर किया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का स्वीकार कर यह अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अपील बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 993 वाके ग्राम डूमरोली तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, जो कि राजकीय चारागाह भूमि है जिसके लिए अपीलाण्ट को अतिक्रमण/कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। अतः नायब तहसीलदार नीमराना द्वारा दिनांक 10.03.2022 को पारित आदेश सही साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 15.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड
कोटपूतली–बहरोड